उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड

विभागीय नियमों, विधियों, शासनादेशों, कार्यालय ज्ञापों आदि का संकलन

उत्तराखण्ड शासन,
संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2
संख्या– /VI-2/2011–82(4)/2011,
देहरादूनः दिनांकः जनवरी, 2011

कार्यालय ज्ञाप

श्री राज्यपाल स्पर्श गंगा कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा एवं इसकी सहयोगी नदियों एवं जल धाराओं की रक्षा करने एवं इस महान नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के प्रयोजन हेतु शहरी विकास अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या– सी0एस0–18/IV(1)-2010–01(62)/2010 दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा गठित "स्पर्श गंगा बोर्ड" का प्रशासकीय नियंत्रण संस्कृति विभाग के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– बोर्ड का गठन तथा कार्य संचालन में निहित व्ययभार का वहन संस्कृति विभाग में " स्पर्श गंगा कार्यक्रम का आयोजन" योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से किया जायेगा।

3– बोर्ड का कार्यालय आई0एच0एम0 परिसर, गढ़ी कैन्ट स्थित उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के भवन में होगा।

4– बोर्ड के संगठनात्मक ढ़ाचे तथा वित्तीय व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में बोर्ड की बैठक में निर्णय लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

5– शहरी विकास विभाग, उत्तरखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या सी0एस0–18/IV(1)-2010–01(62)/2010 दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 136/VI-2/2011–82(4)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2– प्रमुख सचिव, पर्यटन तथा संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
5– सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6– सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।